

- थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का इनामी शातिर शराब तस्कर दौराने मुठभेड़ घायल/गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज असलहा व एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 22.10.2020 को समय करीब 13:10 बजे कोतवाली बागपत क्षेत्रांतर्गत बिहारीपुर पुलिसिया पर कोतवाली बागपत पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जिसमें एक शातिर बदमाश पिंटू उर्फ विजय उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके विरुद्ध जनपद बागपत के थाना छपरौली, बडौत, रमाला पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगस्टर एवं शराब तस्करी के 35 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपरौली से शराब तस्करी एवं पुलिस मुठभेड़ के अभियोग में वांछित चल रहा था जिस के संबंध में पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25000 रु० का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त पिंटू का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाष जारी है। कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता—

पिंटू उर्फ विजय उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

- 1—एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस
- 2—एक बुलेट मोटरसाइकिल नम्बर यूपी 17—एस—0505

अभियुक्त पिंटू उर्फ विजय का अपराधिक इतिहास—

- 1—मु०अ०स० 189/2006 धारा 452,354,504,506, भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2—मु०अ०स० 310/2009 धारा 302,307 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3—मु०अ०स० 698/2009 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4—मु०अ०स० 699/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5—मु०अ०स० 392/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 6—मु०अ०स० 314/2012 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 7—मु०अ०स० 59/2013 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 8—मु०अ०स० 115/2013 धारा 147,148,149,307,302 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 9—मु०अ०स० 127/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 10—मु०अ०स० 170/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 11—मु०अ०स० 207/2014 धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

- 12—मु0अ0स0 208 / 2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 13—मु0अ0स0 211 / 2014 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 14—मु0अ0स0 193 / 2014 धारा 420,272,273 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 15—मु0अ0स0 224 / 2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 16—मु0अ0स0 377 / 2014 धारा 323,342,504,506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 17—मु0अ0स0 422 / 2014 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 18—मु0अ0स0 434 / 2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 19—मु0अ0स0 456 / 2014 धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 20—मु0अ0स0 75 / 2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 21—मु0अ0स0 136 / 2015 धारा 147,148,149,353,307 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 22—मु0अ0स0 451 / 2015 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 23—मु0अ0स0 259 / 2015 धारा 60/72(2) आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 24—मु0अ0स0 433 / 2015 धारा 379,411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 25—मु0अ0स0 82 / 2015 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 26—मु0अ0स0 760 / 2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 27—मु0अ0स0 65 / 2016 धारा 302,201,120बी भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 28—मु0अ0स0 97 / 2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 29—मु0अ0स0 267 / 2016 धारा 302,201,34 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 30—मु0अ0स0 355 / 2016 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 31—मु0अ0स0 459 / 2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 32—मु0अ0स0 161 / 2017 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 33—मु0अ0स0 240 / 2017 धारा 307,504,506, भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 34—मु0अ0स0 300 / 2020 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 35—मु0अ0स0 301 / 2020 धारा 272,273 भादवि व 63 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत ।

➤ थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रठौडा में देशी शराब के ठेके पर सेल्समैन को गोली मारने वाला 25 हजार रुपये का इनामी शातिर अपराधी 24 घंटे के अंदर बाद मुठभेड़ घायल गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज असलहा मय कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 22/10/2020 को समय करीब 13:45 बजे थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत तिलवाड़ा हेवा पुलिया से चेकिंग के दौरान थाना छपरौली पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ शातिर बदमाश अंकित उर्फ बादल पुत्र मन्नु उर्फ परविंदर निवासी ग्राम रठौड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में गोली लगने से अपराधी घायल हो गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित उर्फ बादल द्वारा कल दिनांक 21/10/2020 ग्राम रठौडा में देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन को गोली मारकर घायल करने की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0स0 316/2020 धारा 307 भादवि में किया गया था। जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। वांछित अभियुक्त अंकित उर्फ बादल की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25000 रु० का ईनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपरौली पर हत्या का प्रयास, पुलिस मुठभेड़ सहित 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता—

अंकित उर्फ बादल पुत्र मन्नू उर्फ परविंदर निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस।

अभियुक्त अंकित उर्फ बादल का अपराधिक इतिहास—

- 1—मु0अ0स0 18/2020 धारा 452,506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2—मु0अ0स0 158/2020 धारा 452,307,504,506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3—मु0अ0स0 159/2020 धारा 506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4—मु0अ0स0 161/2020 धारा 504,506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5—मु0अ0स0 163/2020 धारा 307 पुलिस मुठभेड़ थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 6—मु0अ0स0 166/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 7—मु0अ0स0 316/2020 धारा 307 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

➤ थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पांची मे हुई बुजुर्ग की हत्या की घटना में नामित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

➤ घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.10.2020 को वादी इनतीजामुलहक पुत्र इनामुलहक निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि उसके पिता इनामुलहक उम्र 56 वर्ष की ग्राम पांची में गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0स0 185/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 452, 506, 302 भादवि 1—याकुब पुत्र स्व0 इजहार उलहक 2—जुबैर पुत्र स्व0 इजहार उलहक 3—जुल्फिकार पुत्र स्व0 इजहार उलहक 4—युसुफ पुत्र स्व0 इजहार उलहक 5—नवाजिस पुत्र स्व0 इजहार उलहक 6—जायदा पत्नी स्व0 इजहार उलहक समस्त निवासीगण ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

➤ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना खेकडा पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों व प्रकाष में आये तथ्यों के आधार पर दिनांक 21.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सायं समय करीब 17:21 बजे बडागांव मोड से हत्या की घटना में नामित अभियुक्त 1—जुल्फिकार पुत्र स्व0 इजहार उलहक 2—जायदा पत्नी स्व0 इजहार उलहक निवासीगण ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद

बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य परिजनो के साथ मिलकर दादालाई सम्पत्ति के बटवारे को लेकर दिनांक 21.10.2020 को ग्राम पांची में अपने ताउ इनामुलहक उम्र 56 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1—जुल्फिकार पुत्र इजहारूलहक निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2—जायदा पत्नी इजहारूलहक निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

- थाना बिनौली पुलिस द्वारा अवैध असलाह के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे, एक पोनिया मय 06 जिंदा कारतूस व एक तलवार नाजायज बरामद।

➤ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 21.10.2020 को चैकिंग के दौरान सायं समय करीब 18:45 बजे ग्राम बरनावा से मेरठ रोड से अभियुक्त परवेज पुत्र जहूर कुरैषी निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, एक पोनिया 315 बोर मय 06 जिंदा कारतूस व एक तलवार नाजायज बरामद किये है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिनौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता—

परवेज पुत्र जहूर कुरैषी निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

1—02 तमंचे 315 बोर।

2—एक पोनिया 315 बोर मय 06 जिंदा कारतूस।

3—एक तलवार।

- थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट का एक मोबाईल फोन व घटना से सम्बन्धित अवैध 02 तमंचे मय 02 जिंदा कारतूस एवं एक मो0सा0 बुलेट बरामद।

थाना खेकडा— पुलिस द्वारा दिनांक 21.10.2020 को चैकिंग के दौरान वेगटेक कम्पनी के पास पाठशाला रोड से 02 अभियुक्त 1—अफसर खान पुत्र इरषाद अली निवासी डाबर बंगाली पीर चांद मस्जिद गली कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2—राषिद पुत्र इसलाख निवासी मौ0 षहीनीयान कस्बा व थाना षाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी नषबन्दी कालौनी कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट का एक मोबाईल फोन व घटना में सम्बन्धित अवैध 02 तमंचे 315 बोर, मय 02 जिंदा कारतूस एवं एक मो0सा0 बुलेट नम्बर—डीएल—13एसएन—9987 बरामद किये है।

➤ **09 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बिनौली— पुलिस द्वारा दिनांक 21.10.2020 को मु0अ0सं0 297/2020 धारा 147, 148, 452, 323, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—मुंषी पुत्र नजर 2—षरीफ पुत्र नवाब निवासीगण ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत व मु0अ0सं0 298/2020 धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—षौकिन पुत्र नवाब 2—रईस पुत्र नवाब 3—सरफराज उर्फ गुल्लू पुत्र अखलाक निवासीगण ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बिनौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली बागपत— पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.10.2020 को मु0अ0सं0 290/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त नफीस पुत्र षहीद निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व मु0अ0सं0 778/2020 धारा 354, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—अजित पुत्र भिखारी 2—हरीस पाले निवासीगण ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना दोघट— पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.10.2020 को मु0अ0सं0 230/2020 धारा 377, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र स्व0 जसवंत निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोघट पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **थाना खेकडा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना खेकडा— पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.10.2020 को एक वारंटी अभियुक्त आकाष पुत्र रणधीर निवासी पटटी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।